



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15072020-220542
CG-DL-W-15072020-220542

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13]	नई दिल्ली, जुलाई 5—जुलाई 11, 2020, शनिवार/आषाढ़ 14—आषाढ़ 20, 1942
No. 13]	NEW DELHI, JULY 5 — JULY 11, 2020, SATURDAY/ASADHA 14—ASADHA 20, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 30.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 143-कास्ता (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 143-कास्ता (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 143-कास्ता (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रमेश चन्द्र अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री रमेश चन्द्र को दिनांक 2 जुलाई, 2018 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./143/भा.नि.आ./टेर./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 2 जुलाई, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री रमेश चन्द्र को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री रमेश चन्द्र को दिनांक 6 फरवरी, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी ने दिनांक 28 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री रमेश चन्द्र द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रमेश चन्द्र अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री रमेश चन्द्र, निवासी ग्राम-मदारीपुरवा म. भिरावांग्रन्ट, थाना-मैगलगंज, तहसील-मितौली, जिला-खीरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 143-कास्ता (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन

क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./143/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O. N. 30.—WHEREAS, the General Election for 143-Kasta (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 143-Kasta (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Kheri District, Uttar Pradesh, Sh. Ramesh Chandra, a contesting candidate from 143-Kasta (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/143/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 2nd July, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Ramesh Chandra, for non submission of any accounts of his Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Ramesh Chandra was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Kheri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Kheri, the said notice was served to Sh. Ramesh Chandra on 6th February, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kheri has submitted in his supplementary report, dated 28th February, 2020 that Sh. Ramesh Chandra, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Ramesh Chandra has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Ramesh Chandra, resident of Village-Madari Purwa (Bhirawan Grant), Post-

Shivpuri, P.S.-Maigalganj, Tehsil-Mitauli, District-Kheri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 143-Kasta (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/143/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 31.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 131-कटरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्रीमती सुनीता देवी अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीमती सुनीता देवी को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./131/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
- (2) व्यय लेखे में भाग संख्या -I, II व III एवं अनुसूचियां 1 से 9 नहीं भरी गई हैं।
- (3) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्रीमती सुनीता देवी को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्रीमती सुनीता देवी को दिनांक 19 फरवरी, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर ने दिनांक 11 जुलाई, 2018 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्रीमती सुनीता देवी द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती सुनीता देवी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./131/भा.नि.आ./टिरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 9 जनवरी, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर के माध्यम से उन्हें दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर से प्राप्त दिनांक 17 फरवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती सुनीता देवी द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती सुनीता देवी विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रही हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्रीमती सुनीता देवी, निवासी ग्राम अकबरपुर, पो. अकवरिया, तहसील तिलहर, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी थीं, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./131/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O. N. 31.—WHEREAS, the General Election for 131-Katra Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 131-Katra Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 15th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Shahjahanpur District, Uttar Pradesh, Smt. Suneeta Devi, a contesting candidate from 131-Katra Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/131/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Suneeta Devi, for submission of accounts of her election expenses with the following defects:-

- (i) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.
- (ii) Part numbers I, II & III and Schedules 1 to 4 have not been filled in the expenditure account.
- (iii) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Smt. Suneeta Devi was directed to submit her representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in her accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Shahjahanpur within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Shahjahanpur, the said notice was served to Smt. Suneeta Devi on 17th February, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Shahjahanpur has submitted in his supplementary report, dated 11th July, 2018 that Smt. Suneeta Devi, has not submitted any representation or a statement of correct account of her election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in her accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/131/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 9th January, 2019, which was served to her on 26th December, 2019 through the District Election Officer, Shahjahanpur; and

WHEREAS, as per the report, dated 17th February, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Smt. Suneeta Devi has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from her. Further, no representation from Smt. Suneeta Devi has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Smt. Suneeta Devi has failed to lodge her accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Suneeta Devi, resident of Village Akbarpur, Post Akbariya, Tahsil Tilhar, District Shahjahanpur, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 131-Katra Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for

being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/131/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 32.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 131-कटरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राजकुमार अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री राजकुमार को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./131/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
- (2) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री राजकुमार को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री राजकुमार को दिनांक 6 मार्च, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर ने दिनांक 11 जुलाई, 2018 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राजकुमार द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री राजकुमार को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./131/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 9 जनवरी, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर के माध्यम से उन्हें दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहाँपुर से प्राप्त दिनांक 17 फरवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राजकुमार द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजकुमार विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री राजकुमार, निवासी ग्राम ब पो. उखरी, तहसील तिलहर, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 131-कटरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./131/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O. N. 32.—WHEREAS, the General Election for 131-Katra Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 131-Katra Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 15th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Shahjahanpur District, Uttar Pradesh, Sh. Raj Kumar, a contesting candidate from 131-Katra Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/131/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Raj Kumar, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

- (i) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.
- (ii) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Raj Kumar was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Shahjahanpur within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Shahjahanpur, the said notice was served to Sh. Raj Kumar on 6th March, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Shahjahanpur has submitted in his supplementary report, dated 11th July, 2018 that Sh. Raj Kumar, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/131/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 9th January, 2019, which was served to him on 26th December, 2019 through the District Election Officer, Shahjahanpur; and

WHEREAS, as per the report, dated 17th February, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Raj Kumar has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Raj Kumar has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Raj Kumar has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Raj Kumar, resident of Village & Post Office Ukhari, Tehsil Tilhar, District Shahjahanpur, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 131-Katra Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/131/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 33 .—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कैलाश सिंह अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री कैलाश सिंह को दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./टिरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

(1) शपथ पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री कैलाश सिंह को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री कैलाश सिंह को दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 7 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री कैलाश सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री कैलाश सिंह को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./टिरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कैलाश सिंह द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कैलाश सिंह विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री कैलाश सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट मढाभोज, सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O. N. 33.—WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Sh. Kailash Singh, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the

Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Kailash Singh, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

- (1) Duly sworn in affidavit has not been submitted.
- (2) Bill vouchers in respect of items of election expenditure not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Kailash Singh was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Sh. Kailash Singh on 2nd November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 7th August, 2019 that Sh. Kailash Singh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 1st October, 2019, which was served to him on 15th November, 2019 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2019 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Kailash Singh has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Kailash Singh has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Kailash Singh has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Kailash Singh, resident of Village and Post Madhabhoj, Sadabad, Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/79/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 34.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष के भाई को दिनांक 3 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 7 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री प्रेम चन्द्र ओझा उर्फ सुभाष, निवासी म.नं. 67, ग्राम ऊर्घई, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O.N. 34.—WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Sh. Prem Chandra Ojha alias Subhash, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Prem Chandra Ojha alias Subhash, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

(i) Bill vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(ii) Bank Statement not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Prem Chandra Ojha alias Subhash was directed to submit his representation in writing to the

Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Sh. Prem Chandra Ojha alias Subhash's Brother on 3rd November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 7th August, 2019 that Sh. Prem Chandra Ojha alias Subhash, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 1st October, 2019, which was served to him on 15th November, 2019 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2019 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Prem Chandra Ojha alias Subhash has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Prem Chandra Ojha alias Subhash has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Prem Chandra Ojha alias Subhash has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Prem Chandra Ojha alias Subhash, resident of H.No. 67 Village Ughai, Tehsil Sadabad, District Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/79/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 35.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी श्रीमती कुसुमा अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीमती कुसुमा को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्रीमती कुसुमा को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्रीमती कुसुमा की बुआ को दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 7 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्रीमती कुसुमा द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती कुसुमा को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती कुसुमा द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती कुसुमा विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रही हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्रीमती कुसुमा, निवासी ग्राम नगला सलेम, जलेसर रोड, तहसील सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी थीं, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O. N. 35.—WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Smt. Kusuma, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, Hathras a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Kusuma, for submission of accounts of her election expenses with the following defects:-

(i) Bill vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(ii) Bank Statement not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Smt. Kusuma was directed to submit her representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in her accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Smt. Kusuma's Aunt on 2nd November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 7th August, 2019 that Smt. Kusuma, has not submitted any representation or a statement of correct account of her election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in her accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 1st October, 2019, which was served to her on 15th November, 2019 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2019 submitted by the District Election Officer to the Commission, Smt. Kusuma has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from her. Further, no representation from Smt. Kusuma has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Smt. Kusuma has failed to lodge her accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Kusuma, resident of Village Nagla Salem, Jalesar Road, Tehsil Sadabad, Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/79/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 36.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 78-हाथरस (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 78-हाथरस (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 78-हाथरस (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नेकसे लाल अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री नेकसे लाल को दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./78/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री नेकसे लाल को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री नेकसे लाल को दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 7 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री नेकसे लाल द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नेकसे लाल को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./78/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नेकसे लाल द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नेकसे लाल विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री नेकसे लाल, निवासी मांगरू, पो. हसनपुरवारू, तहसील सादाबाद, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 78-हाथरस (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./78/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O. N. 36.—WHEREAS, the General Election for 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 78-Hathras (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Sh. Nekse Lal, a contesting candidate from 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/78/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Nekse Lal, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

Bill vouchers in respect of items of election expenditure not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Nekse Lal was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Sh. Nekse Lal on 2nd November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 7th August, 2019 that Sh. Nekse Lal, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/78/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 1st October, 2019, which was served to him on 15th November, 2019 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th December, 2019 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Nekse Lal has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Nekse Lal has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Nekse Lal has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Nekse Lal, resident of Mangru, P.O. Hasanpurvaru, Tehsil Sadabad, Distt. Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/78/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 37.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 59-गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेख की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 59-गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 59-गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राधेश्याम उर्फ पप्पू राजभर अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री राधेश्याम को दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-लो.स./59/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था:-

- (1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री राधेश्याम को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंडा के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंडा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री राधेश्याम के पिता श्री सीताराम को दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंडा ने दिनांक 16 जनवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राधेश्याम द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री राधेश्याम को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-लो.स./59/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2019, दिनांक 7 फरवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंडा के माध्यम से उनके पिता को दिनांक 15 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंडा से प्राप्त दिनांक 29 अप्रैल, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राधेश्याम द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राधेश्याम विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री राधेश्याम उर्फ पप्पू राजभर, निवासी ग्राम सरायखत्री, पोस्ट दुर्जनपुर पचूमी, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 59-गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./59/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O. N. 37.—WHEREAS, the General Election for 59-Gonda Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 59-Gonda Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 26th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Gonda District, Uttar Pradesh, Sh. Radheshyam alias Pappu Rajbhar, a contesting candidate of Suheldev Bhartiya Samaj Party from 59-Gonda Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/59/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 27th November, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Radheshyam, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

(i) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Radheshyam was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Gonda within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Gonda, the said notice was served to Sh. Sitaram F/o Sh. Radheshyam on 19th December, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Gonda has submitted in his supplementary report, dated 16th January, 2020 that Sh. Radheshyam has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-HP/59/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 07th February, 2020, which was served to his father on 15th March, 2020 through the District Election Officer, Gonda; and

WHEREAS, as per the report, dated 29th April, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Radheshyam has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Radheshyam has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Radheshyam alias Pappu Rajbhar, resident of Village Saraikhatri, Post Office Durjanpur Pachumi, District Gonda, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 59-Gonda Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified

for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/59/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 38.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 339-रामपुर कारखाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017, दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 339-रामपुर कारखाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 339-रामपुर कारखाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री आनंद प्रकाश शाही अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री आनंद प्रकाश शाही को दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./339/भा.नि.आ./टेर./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री आनंद प्रकाश शाही को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस दिनांक 19 मार्च, 2020 को श्री आनंद प्रकाश शाही की पत्नी श्रीमती प्रीती शाही को अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया ने दिनांक 24 जून, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री आनंद प्रकाश शाही द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आनंद प्रकाश शाही अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री आनंद प्रकाश शाही, निवासी आरोग्य मंदिर गोरखपुर, बशारतपुर 277, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 339-रामपुर कारखाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./339/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O. N. 38.—WHEREAS, the General Election for 339-Rampur Karkhana Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 339-Rampur Karkhana Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Deoria District, Uttar Pradesh, Sh. Anand Prakash Shahi, a contesting candidate of Sarv Sambhav Party from 339-Rampur Karkhana Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/339/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 27th September, 2017 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Anand Prakash Shahi, for non-submission of any accounts of his Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Anand Prakash Shahi was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Deoria within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Deoria, the said notice was served to Smt. Preeti Shahi w/o Sh. Anand Prakash Shahi on 19th March, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Deoria has submitted in his supplementary report, dated 24th June, 2020 that Sh. Anand Prakash Shahi has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither

furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Anand Prakash Shahi has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Anand Prakash Shahi, resident of 277 Basharatpur, Arogya Temple, Gorakhpur, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 339-Rampur Karkhana Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/339/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 39.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य से विधानसभा के 32—बायड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप—निर्वाचन, 2019 में, स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और उसके सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तद्दीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में अपने नाम के सामने यथादर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में/निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहा है/रही है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

सारणी

क्र०सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1	गुजरात विधान सभा के लिए उप—निर्वाचन, 2019	32—बायड	राजूभाई खांट ग्राम पोस्ट अम्बागाव, तहसील बायड, जिला, अरावली—383325 गुजरात	अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ।

[सं. 76/गुज.—वि.स.(उप—निर्वाचन)/2019/परि. अनु.—I]

आदेश से,

वरिन्दर कुमार, वरिष्ठ प्रधान सचिव,

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O. N. 39.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the Bye Election from 32-Bayad Assembly Constituency, 2019 to the Gujarat Legislative Assembly specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses or failed to lodge the account of his/her election expenses in manner required by law as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representation made by him, if any, the Election Commission of India is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares the person specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye Election to the Gujarat Legislative Assembly, 2019	32-Bayad	<i>Rajubhai Khant,</i> <i>At. Po. Ambagam, Ta. Bayad, Dist. Aravalli - 383325, Gujarat</i>	Failed to lodge any account of his election expenses

[No. 76/GJ-LA (Bye)/2019/W.S.-I]

By Order,

VARINDER KUMAR, Sr. Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

आ. अ. 40.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेख की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 108-भोगाँव निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सुनील कुमार को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।
- (4) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री सुनील कुमार को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री सुनील कुमार को दिनांक 22 मई, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सुनील कुमार द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./108/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुनील कुमार द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुनील कुमार विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री सुनील कुमार, निवासी माझगाँव, पोस्ट अघार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2020

O. N. 40.—WHEREAS, the General Election for 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 108- Bhongaon Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Sh. Sunil Kumar, a contesting candidate from 108- Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/108/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Sunil Kumar, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been duly submitted.

(iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(iv) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show-Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Sunil Kumar was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Sh. Sunil Kumar on 22nd May, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Sh. Sunil Kumar, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/108/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 17th March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Sunil Kumar has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Sunil Kumar has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Sunil Kumar has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Sunil Kumar, resident of Manjhgaon, Post- Agahar, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 108- Bhongaon Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/108/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

आ. अ. 41.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 28-खीरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 28-खीरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 28-खीरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी बन्दना गुप्ता अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत बन्दना गुप्ता को दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय का

लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.लो.स./28/भा.नि.आ./ टेर./नोटिस/ उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखे का रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, एवं सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय का रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउंट नहीं खोला गया है।
- (3) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा **बन्दना गुप्ता** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **बन्दना गुप्ता** को दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी ने दिनांक 17 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **बन्दना गुप्ता** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी **बन्दना गुप्ता** को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-लो०स०/28/भा.नि.आ./टेर./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2019, दिनांक 18 फरवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 28 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 24 जून, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **बन्दना गुप्ता** द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बन्दना गुप्ता** विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि **बन्दना गुप्ता**, निवासी मो. अहिरान-प्रथम, पलिया कलां, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश

लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 28-खीरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थीं, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./28/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2020

O. N. 41.—WHEREAS, the General Election for 28-Kheri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 28-Kheri Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 26th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Kheri District, Uttar Pradesh, Bandana Gupta, a contesting candidate of Bhartiya Shakti Chetna Party from 28-Kheri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/28/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 27th November, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Bandana Gupta**, for submission of accounts of her election expenses with the following defects:-

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) No separate bank account has been opened for election.

(iii) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Bandana Gupta** was directed to submit her representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in her accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Kheri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Kheri, the said notice was served to Bandana Gupta on 20th December, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kheri has submitted in his supplementary report, dated 17th February, 2020 that **Bandana Gupta**, has not submitted any representation or a statement of correct account of her election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in her accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-HP/28/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 18th February, 2020, which was served to her on 28th February, 2020 through the District Election Officer, Kheri; and

WHEREAS, as per the report, dated 24th June, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Bandana Gupta** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from her. Further, no representation from Bandana Gupta has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Bandana Gupta** has failed to lodge her accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Bandana Gupta**, resident of Mo. Ahiran-1, Palia Kalan, District Kheri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 28-Kheri Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/28/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

आ. अ. 42.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 06-मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 06-मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 06-मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय समानता दल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री तेज सिंह सैनी अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री तेज सिंह सैनी को दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-लो.स./06/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था:-

- (1) बैंक स्टेटमेंट, सार विवरण, अनुसूचियां, वौचेर्स जमा नहीं कराये गए हैं। दिन प्रतिदिन के लेखे के रजिस्टर में निरीक्षण के उपरान्त धनराशि परिवर्तित की गयी है।
- (2) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
- (3) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री तेज सिंह सैनी को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री तेज सिंह सैनी को दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद ने दिनांक 25 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री तेज सिंह सैनी द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री तेज सिंह सैनी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-लो.स./06/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2019, दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद के माध्यम से अभ्यर्थी को दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उनके पत्र, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019, जो आयोग में दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ, के साथ श्री तेज सिंह सैनी से प्राप्त अभ्यावेदन, दिनांक 27.11.2019 की प्रति आयोग में प्रेषित की गयी; और

यतः, आयोग के पत्र, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से अभ्यर्थी के उक्त संदर्भित अभ्यावेदन पर अपना मंतव्य आयोग में भेजने को कहा गया; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरादाबाद से प्राप्त पत्र, दिनांक 20 जनवरी, 2020 के अनुसार अभ्यर्थी श्री तेज सिंह सैनी द्वारा उनके लेखे में कोई सुधार नहीं किया गया है केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री तेज सिंह सैनी विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री तेज सिंह सैनी, निवासी ग्राम मिश्रीपुर (मढैया), थाना, तहसील व डाकखाना काँठ, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 06-मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./06/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2020

O. N. 42.—WHEREAS, the General Election for 06-Moradabad Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 06-Moradabad Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 27th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Moradabad District, Uttar Pradesh, Sh. Tej Singh Saini, a contesting candidate of Rashtriya Smanta Dal from 06-Moradabad Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/06/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 01st October, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Tej Singh Saini, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

- (i) Bank Statement, Abstract Statement, Schedules, Vouchers not submitted. Entry in the day-to-day register was changed after inspection.
- (ii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.
- (iii) All expenditures (except petty expenditures) were not routed through Bank Account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Tej Singh Saini was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Moradabad within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Moradabad, the said notice was served to Sh. Tej Singh Saini on 21st October, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Moradabad has submitted in his supplementary report, dated 25th November, 2019 that Sh. Tej Singh Saini has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-HP/06/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 04th December, 2019, which was served to him on 09th December, 2019 through the District Election Officer, Moradabad; and

WHEREAS, District Election Officer, Moradabad forwarded a copy of the representation, dated 27.11.2019 received from Sh. Tej Singh Saini *vide* his letter, dated 03.12.2019, which was received in the Commission on 06.12.2019; and

WHEREAS, The Commission *vide* letter, dated 20.12.2019 sought comments of District Election Officer on the above mentioned representation of the candidate; and

WHEREAS, as per the District Election Officer's letter, dated 20th January, 2020, Sh. Tej Singh Saini did not rectify the defects in his accounts and only above mentioned representation was submitted by him; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Tej Singh Saini has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Tej Singh Saini, resident of Village Mishripur (Madhaiya), Police Station, Tehsil and Post Office Kanth, Moradabad, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 06-Moradabad Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/06/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

आ. अ. 43.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 109-किशनी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 109-किशनी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 109-किशनी (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नाथूराम अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री नाथूराम को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं.76/उ.प्र.-वि.स./109/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।
- (4) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री नाथूराम को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, बताये गए पते पर अभ्यर्थी के उपस्थित न होने की स्थिति में उक्त नोटिस को दिनांक 7 मई, 2018 को दो गवाहों की उपस्थिति में उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते की दीवार पर चिपकाया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री नाथूराम द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नाथूराम को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./109/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उनके भाई श्री वीरवाल दिनांक 28 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नाथूराम द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नाथूराम विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री नाथूराम, निवासी ग्राम-कुरसंडा, पोस्ट-शमशेरगंज, तहसील-किशनी, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 109-किशनी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./109/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2020

O. N. 43.—WHEREAS, the General Election for 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 109-Kishni (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Sh. Nathooram, a contesting candidate from 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/109/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Nathooram, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been duly submitted.

(iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(iv) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Nathooram was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, in absence of candidate at the given address, the notice was pasted on the wall of the address provided by him in the nomination papers, on 7th May, 2018 in the presence of two witnesses; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Sh. Nathooram, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/109/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to his brother Shri Veerval on 28th February, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Nathooram has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Nathooram has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Nathooram has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Nathooram, resident of Village-Kursanda, Post-Shamsherganj, Tehsil-Kishni, District-Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/109/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

आ. अ. 44.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 109-किशनी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 109-किशनी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 109-किशनी (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नेत्रपाल अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री नेत्रपाल को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं.76/उ.प्र.-वि.स./109/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।
- (4) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री नेत्रपाल को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री नेत्रपाल की पत्नी श्रीमती मीना देवी को दिनांक 17 मई, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री नेत्रपाल द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नेत्रपाल को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./109/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नेत्रपाल द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त,

उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नेत्रपाल विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री नेत्रपाल, निवासी ग्राम-छबीलेपुर, पोस्ट-नबीगंज, तहसील-भोगाँव, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 109-किशनी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./109/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2020

O. N. 44.—WHEREAS, the General Election for 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 109-Kishni (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Sh. Netrapal, a contesting candidate from 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/109/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Netrapal, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

- (i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.
- (ii) Affidavit has not been duly submitted.
- (iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.
- (iv) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Netrapal was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Smt. Meena Devi w/o Sh. Netrapal on 17th May, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Sh. Netrapal, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/109/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 17th March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Netrapal has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Netrapal has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Netrapal has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Netrapal, resident of Village-Chhabeelepur, Post-Naviganj, Tehsil-Bhongaon, District-Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 109-Kishni (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/109/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

आ. अ. 45.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 107-मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री महाराज सिंह अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री महाराज सिंह को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री महाराज सिंह को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री महाराज सिंह को दिनांक 27 जनवरी, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री महाराज सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री महाराज सिंह को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./107/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री महाराज सिंह द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री महाराज सिंह विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री महाराज सिंह, निवासी म0नं0 38 दिवरई कुरावली, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2020

O. N. 45.—WHEREAS, the General Election for 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 107-Mainpuri Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Sh. Maharaj Singh, a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/107/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Maharaj Singh, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been submitted.

(ii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Maharaj Singh was directed to submit his representation in writing to the Commission

explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Sh. Maharaj Singh on 27th January, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Sh. Maharaj Singh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/107/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 17th March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Maharaj Singh has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Maharaj Singh has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Maharaj Singh has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Maharaj Singh, resident of H.No. 38 Divrai Kurawli, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/107/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

आ. अ. 46.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेख की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 107-मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रामनरेश अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री रामनरेश को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री रामनरेश को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री रामनरेश को दिनांक 22 जनवरी, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री रामनरेश द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री रामनरेश को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./107/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रामनरेश द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रामनरेश विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री रामनरेश, निवासी ग्राम नगला शीशम हिमाँयुपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2020

O. N. 46.—WHEREAS, the General Election for 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 107-Mainpuri Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Sh. Ramnaresh, a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/107/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Ramnaresh, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been submitted.

(ii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Ramnaresh was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Sh. Ramnaresh on 22nd January, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Sh. Ramnaresh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/107/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 17th March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Ramnaresh has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Ramnaresh has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Ramnaresh has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Ramnaresh, resident of Village-Nagla Sheesham Himaupur, District Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/107/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

आ. अ. 47.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 107-मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरेश अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सुरेश को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/भा.नि.आ./टेरी./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री सुरेश को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री सुरेश के पुत्र श्री रोनक गुप्ता को दिनांक 23 मई, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सुरेश द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री सुरेश को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 2 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 13 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेश द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरेश विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री सुरेश, निवासी मुहल्ला 423 सोतियाना, पोस्ट मैनपुरी, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की

अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2020

O. N. 47.—WHEREAS, the General Election for 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 107-Mainpuri Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Sh. Suresh, a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/107/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Suresh, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been submitted.

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Suresh was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Sh. Ronak Gupta s/o Sh. Suresh on 23rd May, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that Sh. Suresh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/107/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 2nd March, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 13th May, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Sh. Suresh has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from Sh. Suresh has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Suresh has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Suresh, resident of Mohalla 423 Sotiyan, Post Mainpuri, District Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/107/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

आ. अ. 48.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 108-भोगाँव निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की ओर से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरेन्द्र सिंह अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/भा.नि.आ./टेर./नोटिस/उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री सुरेन्द्र सिंह को दिनांक 18 मार्च, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 13 मई, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कोसा, पोस्ट गढीया छिनकौरा बेवर, तहसील भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2020

O. N. 48.—WHEREAS, the General Election for 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 108-Bhongaon Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, Sh. Surendra Singh, a contesting candidate of Bahujan Samaj Party from 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/108/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Surendra Singh, for non-submission of any accounts of his Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Surendra Singh was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Sh. Surendra Singh on 18th March, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 13th May, 2020 that Sh. Surendra Singh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Surendra Singh has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Surendra Singh, resident of Village- Kosa, Post- Gadiya Chinkaura Bawar, Tehsil-Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/108/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई 2020

आ. अ. 49.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिजोरम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के तहत की गई थी। अनुसूची के अनुसार मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी:

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत, प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सत्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 29-तुईपुई दक्षिण (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबिद्ध रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख 10.01.2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मिजोरम, द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने दिनांक 26-04-2019 के पत्र सं. एच.11016/2/2019-सीईओ के तहत अग्रेषित दिनांक 10.01.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री फेरोथंगा, जो मिजोरम के 29-तुईपुई दक्षिण (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहें हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुंगलेई जिला, मिजोरम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मिजोरम, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अधीन निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर, श्री फेरोथंगा को दिनांक 18.07.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए, श्री फेरोथंगा को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री फेरोथंगा द्वारा दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त किया गया था। उनसे प्राप्त पावती रसीद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मिजोरम द्वारा दिनांक 09.03.2020 के उनके पत्र सं. एच.11016/2/2019-सीईओ के तहत आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुंगलेई जिला द्वारा प्रस्तुत दिनांक 17.02.2020 के अपने पत्र के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री फेरोथंगा ने डीईओ लुंगलेई को अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के बाद भी उक्त असफलता का न कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री फेरोथंगा, अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और विफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या औचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा मिजोरम राज्य के 29- तुईपुई दक्षिण (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले (निर्दलीय) अभ्यर्थी, श्री फेरोथंगा, निवासी एफ-109, चानमारी, एजवाल, मिजोरम, पिन-796701, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/मिजो-वि.स./29/2018]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

SECRETARIAT OF ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O.N. 49.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Mizoram, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule the date of Counting was 11.12.2018;

AND WHEREAS, as per section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of the returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the Returning Officer of 29-South Tuipui (ST) Assembly Constituency on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019;

AND WHEREAS, as per the report dated 10.01.2019 submitted by the District Election Officer, District Lunglei, Mizoram, and forwarded by the Chief Electoral Officer vide his letter No. H.11016/2/2019-CEO dated 26-04-2019, Shri Phairothanga, an Independent contesting candidate from 29-South Tuipui (ST) Assembly Constituency of Mizoram has failed to lodge any account of his election expenses;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Lunglei District, Mizoram and the Chief Electoral Officer, Mizoram, a Show-Cause notice dated 18.07.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to Shri Phairothanga for non submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 18.07.2019, Shri Phairothanga was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same with the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Phairothanga on 19.08.2019. Acknowledgement receipt obtained from him, has been submitted to the Commission by the Chief Electoral Officer, Mizoram vide his letter No. H.11016/2/2019-CEO dated 09.03.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by the District Election Officer, Lunglei District vide his letter dated 17.02.2019 it has been stated that Shri Phairothanga, has not submitted any statement of correct account of his election expenses. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Phairothanga has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Phairothanga, resident of F-109, Chanmari, Aizawl, Mizoram Pin-796701, a contesting candidate (Independent) for the General Election to the Legislative Assembly, 2018, from 29-South Tuipui (ST) Assembly Constituency of the State of Mizoram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/MIZ-LA/29/2018]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

आ. अ. 50.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिजोरम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के तहत की गई थी। अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी:

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत, प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सत्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 29-तुईपुई दक्षिण (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबिद्ध रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 11.12.2018 को की गई थी। इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10.01.2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला लुंगलेई, मिजोरम, द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 26-04-2019 के अपने पत्र सं. एच.11016/2/2019-सीईओ के तहत अग्रेषित दिनांक 10.01.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री सी.लाल्लुनपुईआ, जो मिजोरम के 29-तुईपुई दक्षिण (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी हैं, अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुंगलेई जिला, मिजोरम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मिजोरम, की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अधीन निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर, श्री सी.लाल्लुनपुईआ को दिनांक 18.07.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार दिनांक 18.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए, श्री सी.लाल्लुनपुईआ को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे की त्रुटियों को ठीक करें और उक्त को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सी.लाल्लुनपुईआ द्वारा दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त किया गया था। उनसे प्राप्त पावती रसीद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मिजोरम द्वारा दिनांक 09.03.2020 के उनके पत्र सं. एच.11016/2/2019-सीईओ के तहत आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लुंगलेई जिला द्वारा दिनांक 17.02.2020 के अपने पत्र के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सी.लाल्लुनपुईआ ने जिला निर्वाचन अधिकारी, लुंगलेई को अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के बाद भी उक्त असफलता का न कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सी.लाल्लुनपुईआ, अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और विफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या औचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत यह अनुबंध है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या औचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मिजोरम राज्य के 29- तुईपुई दक्षिण (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी श्री सी.लालनपुईआ, निवासी लाल वेंग, चेरहलुन, लुंगलेई जिला, मिजोरम पीओ-थिंगसाई, पिन-796571, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/मिजो-वि.स./29/2018]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

O.N. 50.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Mizoram, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule the date of Counting was 11.12.2018;

AND WHEREAS, as per section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the Returning Officer of 29-South Tuipui (ST) Assembly Constituency on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019;

AND WHEREAS, as per the report dated 10.01.2019 submitted by the District Election Officer, District Lunglei, Mizoram, and forwarded by the Chief Electoral Officer vide his letter No. H.11016/2/2019-CEO dated 26-04-2019, Shri C. Lalnunpuia, a contesting candidate of Bharatiya Janata Party from 29-South Tuipui (ST) Assembly Constituency of Mizoram has failed to lodge any account of his election expenses;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Lunglei District, Mizoram and the Chief Electoral Officer, Mizoram, a Show-Cause notice dated 18.07.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to Shri C. Lalnunpuia for non submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 18.07.2019, Shri C. Lalnunpuia was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same with the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri C. Lalnunpuia on 14.08.2019. Acknowledgement receipt obtained from him has been submitted to the Commission by Chief Electoral Officer, Mizoram vide his letter No. H.11016/2/2019-CEO dated 09.03.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by the District Election Officer, Lunglei District vide his letter dated 17.02.2020 it has been stated that Shri C. Lalnunpuia, has not submitted any statement of correct account of his election expenses. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri C. Lalnunpuia has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri C. Lalnunpuia, resident of Lal Veng, Cherhlun, Lunglei District, Mizoram PO-Thingsai Pin-796571, a contesting candidate of Bharatiya Janata Party for the General Election to the Legislative Assembly, 2018, from 29-South Tuipui (ST) Assembly Constituency of the State of Mizoram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/MIZ-LA/29/2018]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.